रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1837] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ़ 30, 1938
No. 1837] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ ASADHA 30 , 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

का. आ. 2490(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1634 (अ), तारीख 27.09.2007 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 29.700 कि.मी. से 170.000 कि.मी. (दिल्ली/हरियाणा सीमा–रोहतक–हिसार सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा हैं;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, रारा–10 के 87.000 कि.मी. से 170.000 कि.मी. तक रोहतक–हिसार सेक्शन, जिसमें 87.000 कि.मी. (रारा–10) से 348.000 कि.मी. (रारा–71) का संयोजन लिंक शामिल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के रारावि चरण– III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर चार लेन में विकास और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 20.03.2013 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए मैसर्स रोहतक हिसार टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सद्भाव हाउस, लॉ गार्डन पुलिस चॉकी के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम 2010 और 2011 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड के निवल लम्बाई 68.840 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और बाइपासों जिनकी कुल लम्बाई 29.970 कि.मी. है और प्रत्येक बाइपास की लागत दस करोड़ या अधिक है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथानिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

(1) नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान चैनेज	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
99.835 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 94.000 कि.मी.), रोहतक जिले में मदीना कोरसन गांव के पास	25.640 (मदीना बाइपास, खारखारा बाइपास और मेहम बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
161.500 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 149.000 कि.मी.), हिसार जिले में रामायण गांव के पास	43.200 (हांसी बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है के उपयोग के लिए ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान चैनेज	चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है
99.835 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 94.000 कि.मी.), रोहतक जिले में मदीना कोरसन गांव के पास	रारा–10 के मदीना बाइपास के 94.400 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.250 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 98.770 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 93.000 कि.मी.) पर मिलते हुए	4.370	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
99.835 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 94.000 कि.मी.), रोहतक जिले में मदीना कोरसन गांव के पास	रारा–10 के खारखारा बाइपास के 101.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 95.200 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 105.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 99.500 कि.मी.) पर मिलते हुए	4.900	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
99.835 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 94.000 कि.मी.), रोहतक जिले में मदीना कोरसन गांव के पास	रारा–10 के मदीना बाइपास के 109.100 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 102.800 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 116.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 108.600 कि.मी.) पर मिलते हुए	6.900	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
161.500 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 149.000 कि.मी.), हिसार जिले में रामायण गांव के पास	रारा–10 के हांसी बाइपास के 144.200 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 136.50 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 158.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 145.480 कि.मी.) पर मिलते हुए	13.800	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

IndiaCode

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए मासिक पास की दर 235.00 रूपए (दो सौ पैतीस रूपए मात्र) होगी और यथा संषोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6.. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेष कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा, और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से'–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा परन्तु शर्त यह है शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/762/सीओ/13–14/जीसी/रोहतक–हिसार सेक्षन–बीओटी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2016

S.O. 2490(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1634 (E), dated 27.09.2007, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 29.700 to km 170.000 (Delhi/Haryana Border-Rohtak – Hissar Section) of National Highway No. 10 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Rohtak Hissar Tollway Private Limited having its registered office at SADBHAV HOUSE, Opp. Law Garden Police Chowki, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, Gujarat (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on

20.03.2013 for the development of Rohtak – Hissar Section of NH-10 from km 87.000 to km 170.000 including connecting link from km 87.000 (NH-10) to km 348.000 (NH-71) (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 and 2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 68.840 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 29.970 km costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which Fee is payable**
Km. 99.835 (design chainage) (Existing Chainage km 94.000) near Madina Korsan village in Rohtak district	25.640 (excluding length of Madina Bypass, Kharkhara Bypass and Meham Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 161.500 (design chainage) (Existing Chainage km 149.000) near Ramayana village in Hissar district	43.200 (excluding length of Hansi Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	**Names of Bypass with Chainage**	**Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
Km. 99.835 (design chainage) (Existing Chainage km 94.000) near Madina Korsan village in Rohtak district	Madina Bypass taking off at km. 94.400 (design chainage) (existing chainage km 88.250) and joining at km. 98.770 (design chainage) (existing chainage km 93.000) of NH-10	4.370	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 99.835 (design chainage)	Kharkhara Bypass taking off at km. 101.000	4.900	150% of base

(Existing Chainage km 94.000) near Madina Korsan village in Rohtak district	(design chainage) (existing chainage km 95.200) and joining at km. 105.900 (design chainage) (existing chainage km 99.500) of NH-10		rates mentioned in Table-1 above
Km. 99.835 (design chainage) (Existing Chainage km 94.000) near Madina Korsan village in Rohtak district	Meham Bypass taking off at km. 109.100 (design chainage) (existing chainage km 102.800) and joining at km. 116.000 (design chainage) (existing chainage km 108.600) of NH-10	6.900	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 161.500 (design chainage) (Existing Chainage km 149.000) near Ramayana village in Hissar district	Hansi Bypass taking off at km. 144.200 (design chainage) (existing chainage km 136.50) and joining at km. 158.000 (design change) (existing chainage km 145.480) of NH-10	13.800	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

IndiaCode

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/762/CO/13-14/GC/Rohtak-Hissar Section-BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.